

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

4/10/22

प्रभावली पत्र हुई, पीजरीन अधिकारी
मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार
11/10/22 को पेश हो

11/10/22

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् वाडी उषय नवनीकर
उपरीन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। पत्रावली
वर्ति अर्थात् एवं अर्थात् डिनांक
18/10/22 को पेश हो

18/10/22

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् वाडी उषय नवनीकर
उपरीन से प्रय विभाजन प्रस्ताव का अर्थात्
किमा गया। अर्थात् वाडी द्वारा केंद्र रिपोर्ट पर
सुधमरी पडाग की है। केंद्र रिपोर्ट के अर्थात्
के प्रस्ताव प्रकरण अर्थात् डिकी नोजम प्रय
गया। अतः वाडी का वाड मुनाबिक केंद्र रिपोर्ट
अर्थात् कण से डिकी किमा धारा है। पत्रावली
किमा मुनाबिक होकर नम्बर से कण है। वाड नवनीकर
डाकिम डपल हो

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भारतपुर)

मुख्यालय सहायक



1. महावीर सि
जरापुर त

11/2

1. गिरधर
2. कलान
3. धर्म
4. किन्
5. होये
6. देव
7. इन्
8. न
9. म
10. स
11. स
12. स

- जातियान कुशवाह निवासीयान उच्चैन
25. विष्णू पुत्र गिराज
 26. वीरेन्द्र पुत्र तुलसी
 27. श्रीमती पत्नी लाखनसिंह
 28. शिवानी पुत्री शेरसिंह
 29. सुआ पुत्री बाबूसिंह पत्नी भूषण निवासी बयाना भवनपुरा
 30. सत्यभान पुत्र लाखनसिंह उर्फ लकखो
 31. सतीश पुत्र लाखनसिंह उर्फ लकखो
 32. सुभाष पुत्र गिराज
 33. समयसिंह उर्फ रूपसिंह पुत्र मुलीराम
 34. सुरजीत पुत्र लाखनसिंह उर्फ लकखो
 35. सुहानी पुत्री शेरसिंह
 36. सोनिया पुत्री शेरसिंह
 37. हारमाया पुत्री गिराज पत्नी रूपसिंह उर्फ रूपा निवासी कटरा तहसील व जिला आगरा
 38. अंगूरी पत्नी लालसिंह
 39. सुराकेश पुत्रान लालसिंह
 40. लक्ष्मन
 41. इन्द्रा
 42. सूखी पुत्रीयान लालसिंह
 43. मछला
 44. शाखा प्रबंधक पी0एन0बी0 उच्चैन।
 45. तहसीलदार, तहसील उच्चैन।
- जातियान कुशवाह निवासीयान उच्चैन
- जातियान कुशवाह निवासीयान उच्चैन



— प्रतिवादीगण
दावा बाबत् विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

निर्णय

दिनांक

वादी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया गया कि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 443/0.57, 444/0.32, 446/0.32, 447/0.32, 451/0.48, 452/0.48, 453/0.66, 454/0.16, 456/0.05, 457/0.68 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 4.04 है0 बाकै ग्राम जुगलापट्टी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर (जमाबंदी संवत् 2075-2078 के अनुसार) में स्थित है। उक्त आराजी को मुझ वादी ने रजिस्टर्ड वयनामा के पूर्ण प्रतिफल अदा कर खरीद कर लिया था। विवादित आराजी का पूर्व के खातेदारान के मध्य मनबट के आधार पर बंटवारा

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

